

प्रशा
निकासी
पटना
01/3/19

संचिका सं०-1/बजट (स्था० एवं प्रतिबद्ध व्यय) आवंटन (मु०)-17/2018 33
बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

प्रेषक,

अभय राज (भा०प्र०से०)
संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 05.3.19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये मुख्य शीर्ष 2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण, उपमुख्य शीर्ष-03 पंजीकरण, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, मांग सं०-38 उपशीर्ष 0001-अधीक्षण स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय विपत्र कोड-38-2030.03.001.0001.11 के अंतर्गत अन्य विषय शीर्षों के अंतर्गत कुल 250000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) मात्र के अतिरिक्त आवंटन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये मुख्य शीर्ष 2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण, उपमुख्य शीर्ष-03 पंजीकरण, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, मांग सं०-38 उपशीर्ष 0001-अधीक्षण स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय विपत्र कोड-38-2030.03.001.0001.11 के अंतर्गत विषय शीर्ष के अंतर्गत कुल 250000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) मात्र राशि अतिरिक्त आवंटित की जाती है।

2. उक्त राशि मुख्य शीर्ष-2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण, उपमुख्य शीर्ष-03 पंजीकरण, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, मांग सं०-38 उपशीर्ष 0001-अधीक्षण स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय विपत्र कोड-38-2030.03.001.0001.11 के अंतर्गत यात्रा व्यय 0001.11.01, के मद में 50000/- (पचास हजार) एवं संविदा सेवाएं 0001.28.02 के मद में 200000/- (दो लाख) रुपये मदों में राजस्व व्यय के अंतर्गत मतदेय से वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए तृतीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित अतिरिक्त राशि से विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० एम०-4-05/98-2561 दि० 17.04.98, पत्रांक-396 दिनांक-24.04.2015 में निहित अनुदेशों के तहत निर्गत किया जाता है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक-354/वि० दिनांक 28.03.2018 के द्वारा इस राशि को व्यय करने की स्वीकृति प्राप्त है। वित्त विभाग के पत्रांक-257/वि० दिनांक 26.02.2019 के द्वारा तृतीय अनुपूरक के माध्यम से इस राशि को व्यय करने की स्वीकृति प्राप्त है।

5. आवंटित राशि में से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के सभी तरह के लंबित विपत्रों की भी निकासी की जायेगी।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

7. आवंटित राशि की निकासी संबंधित स्थापना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

8. आवंटित राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

9. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी एवं महालेखाकार कार्यालय से निकासी की राशि का सत्यापन कराकर उसकी एक प्रति मुख्यालय को अवश्य भेजी जाय।

10. आवंटित राशि का व्यय निर्धारित मद में ही किया जायेगा।

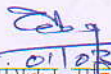
विश्वासभाजन

01/03/19

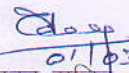
(अभय राज)

संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-1/बजट (स्था0 एवं प्रतिबद्ध व्यय) आवंटन (मु0)-17/2018 33 पटना, दिनांक:- 05.3.19
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


01/03/19
संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-1/बजट (स्था0 एवं प्रतिबद्ध व्यय) आवंटन (मु0)-17/2018 33 पटना, दिनांक:- 05.3.19
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


01/03/19
संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-1/बजट (स्था0 एवं प्रतिबद्ध व्यय) आवंटन (मु0)-17/2018 33 पटना, दिनांक:- 05.3.19
प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, विभागीय बजट शाखा (मुख्यालय)/लेखा शाखा (निबंधन पक्ष) को दो अतिरिक्त प्रतियो में एवं आईटी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


01/03/19
संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।